सं. 57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(8)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक :25अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता – संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 2 में यह उपबंधित है कि ये नियम किन पर लागू होंगे।

3. इस विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें, इन नियमों और इन नियमों के नियम 10 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.10.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

4. अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 और दिनांक 26.10.2022 का उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तथापि, चूंकि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सेवा मामले इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, अत: उपरोक्त अनुदेशों सहित इस विभाग द्वारा जारी किए गए सभी नियम/अनुदेश स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता के संबंध में उपरोक्त स्थिति सूचनार्थ और अपेक्षित अनुपालनार्थ, सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)